

हेल्थ विजिटरों का प्रशिक्षण

801. श्री श्रीकार लाल बेरबा :
श्री हुकम खन्व कछवाय :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने हेल्थ विजिटरों के लिये कोई अनिवार्य प्रशिक्षण आरम्भ किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस समय कुल कितने हेल्थ विजिटरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है; और

(ग) प्रशिक्षण की अवधि क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) भारत सरकार ने हेल्थ विजिटरों के लिए कोई अनिवार्य प्रशिक्षण आरम्भ नहीं किया है, किन्तु जो प्रशिक्षण लेना चाहते हों उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

(ख) 1964 के अन्त में लगभग 1100 उम्मीदवार हेल्थ विजिटर कोर्स में प्रशिक्षण पा रहे थे। 1965 के आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है।

(ग) इंग्लैण्ड हेल्थ विजिटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि दो साल छः महीने की है। योग्यता प्राप्त धारित्रियाँ इस पाठ्यक्रम को 12 से 18 महीनों में पूरा कर सकती हैं।

व्यास बांध

802. श्री श्रीकार लाल बेरबा : क्या सिबाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि व्यास बांध के निर्माण के फलस्वरूप लगभग पच्चीस हजार परिवार बेघर हो जायेंगे; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उनके पुनर्वास के लिये बनाई गई योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

सिबाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हाँ।

(ख) पंजाब और हिमाचल प्रदेश में व्यास बांध तथा कुछ अन्य परियोजनाओं के निर्माण के फलस्वरूप विस्थापित लोगों को राजस्थान नहर क्षेत्र में पुनः बसाया जायेगा। इन विस्थापितों को जमीन देने के लिये राजस्थान सरकार ने 3.25 लाख एकड़ भूमि को पृथक् रख छोड़ना मान लिया है। प्रत्येक विस्थापित को, जैसा कि पंजाब द्वारा निश्चित किया जायेगा, अलग-अलग अलाटमेंट आर्डर राजस्थान द्वारा दिये जायेंगे।

C.G.H.S. Doctors

803. Shri Shree Narayan Das: Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state:

(a) whether any assessment has been made of the extent to which the beneficiaries of Central Government Health Scheme had to get themselves treated by private doctors due to the C.G.H.S. doctors working according to rule since December, 1965;

(b) if so, the steps taken to meet the situation;

(c) whether any assessment has also been made as to the requirement of doctors, if doctors are allowed to work according to rule; and

(d) if so, the steps taken to meet the situation?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) to (d). No such need had arisen as necessary precautions were taken to prevent any dislocation of work.

Assessment of the work load of Medical Officers is done from time to time. The number of doctors in the dispensaries is adequate.